THE MADHYA PRADESH ANATOMY ACT, 1954

Encl. No I.

&

The Madhya Pradesh Anatomy Rules, 1966

Encl. No. II

Bhopal
Govt. Central press,
2006

THE MADHYA PRADESH ANATOMY ACT, 1954

(No. XVI of 1954)

CONTENTS

Secs.

1. Short title, extent and commencement
2. Definitions
3. Doubt or dispute as to unclaimed body to be referred to officer appointed by State Government.
4. Power of State Government to authorize officers to act under Section 5
5. Unclaimed bodies to be used for anatomical examination.
6. Penalty
7. Duty of police and other officers to assist in obtaining possession of unclaimed bodies.
8. Protection of persons acting under Act
9. Officers to be public servant
10. Rules

THE MADHYA PRADESH ANATOMY ACT, 1954

(No. XVI of 1954)

AMENDING ACT
M. P. Act 23 of 1958

[12th April, 1954]

An Act to provide for the supply of unclaimed bodies of deceased persons to hospitals and medical and teaching institutions for the purpose of anatomical examination and dissection.

Whereas it is expedient to provide for the supply of unclaimed bodies of deceased persons to hospitals and medical and teaching institutions for the purpose of anatomical examination and dissection;

It is hereby enacted as follows:

Statement of Objects and Reasons.—For the teaching of medicine and surgery, dissection and post-mortem examination of dead bodies are essential. It is, therefore, necessary that medical institutions are ensured an adequate supply of dead bodies. But in the absence of some legal sanction, the utilization by medical institutions of dead bodies even in cases in which there are no known relatives, is attended with risk. The Bill is designed to remove the difficulty.

1. Short title, extent and commencement.—(1) This Act may be cited as The Madhya Pradesh Anatomy Act, 1954.

1. Received the assent of the Governor on the 12th April, 1954; assent first published in the Madhya Pradesh Gazette on the 23rd April, 1954.

(2) It extends to the whole of [1][Madhya Pradesh].

[2][(3) It shall be in force in all such areas of Madhya Pradesh in which it was in force immediately before the commencement of the Madhya Pradesh Extension of Laws Act, 1958 (23 of 1958) and shall come into force in such other areas and on such dates[3] as the State Government may, by notification in the official Gazette direct].

2. Definitions.—In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context,—

(a) "approved institution" means a hospital or a medical or teaching institution approved by the State Government to carry on anatomical examination and dissection;

(b) "authorized officer" means an officer authorized by the State Government to perform the functions of an unauthorized officer under this Act;

(c) "prescribed" means prescribed by rules and under this Act;

(d) "unclaimed body" means the body of a deceased person which is not claimed by any of his near relatives or by any person of his caste, creed and religion within such time as may be prescribed.

3. Doubt or dispute as to unclaimed body to be referred to officer appointed by State Government.—If any doubt or dispute arises, whether the body of any deceased person is an unclaimed body, the matter shall be referred to such officer as the State Government may, by notification, appoint for any area in this behalf and the decision of such officer shall be final and conclusive.

4. Power of State Government to authorize officers to act under Section 5.—The state Government may, by notification authorize for the area or any part thereof in which this Act comes into force one or more officers to whom a report shall be made under Section 5 and who shall be competent to Act under the said section.

5. Unclaimed bodies to be used for anatomical examination.—(1) Where a person under treatment in a hospital whether established by or vesting in, or maintained by the State Government or any local authority, dies in such hospital and his body is unclaimed, the authorities in charge of such hospital shall with the least practicable delay report the fact to the authorized officer ad such officer shall then hand over the unclaimed body to the authorities in charge of an approved institution for the purpose of conducting anatomical examination and dissection.

1. Subs. by M. P. 23 of 1958
2. Subs. by. M. P. 23 of 1958.
3. Sections 2 to 10 of the Act brought into force immediately in the whole of Madhya Pradesh vide Public Health Department Notfn. No. 7921-2165-XIV, dated the 12th September, 1955 published in Madhya Pradesh Gazetted dated the 16th September, 1955 Part 1 P. 827.

(2) Where a person dies at a hospital other than a hospital referred to in -section (1) or in a person and his body is unclaimed, the authorities in charge of h hospital or person shall with the least practicable delay report the fact to the thorized officer and the said officer shall hand over the unclaimed body to the authorities charge of an approved institution for the purpose specified in sub-section (1).

(3) Where a person having no permanent place of residence in the area where death has taken place dies in any public place in such area and his body is claimed, the authorized officer shall take possession of the body and shall hand it er to the authorities in charge of an approved institution for the purpose specified sub-section (1).

6. **Penalty.**—Whoever disposes of, or abets the disposal of, an unclaimed body ve as permitted by this Act or obstructs any authority in charge of an approved stitution or an authorized officer from handing over, taking possession of, removing using, such body for the purpose specified in the Act, shall, on conviction be nished with fine which may extend to five hundred rupees.

7. **Dutyof police and other officers to assist in obtaining possession of claimed bodies.**—All officers of the Depatments of Police and Public Health and officers in the employ of a local authority and all village officers shall be bound take all reasonable measures to assist any authority or officer authorized under this t to obtain the possession of an unclaimed body.

8. **Protection of persons acting under Act.**—No suit, prosecution or other legal oceedings shall be against any person for anything which is in good faith done or tended to be done under this Act.

9. **Officers to be public servants.**—All officers appointed or authorized to act der this Act shall be deemed to be public servants within the meaning of ction 21 of the Indian Penal Code (XLV of 1860).

10. **Rules.**—(1) The State Government may, be notification, make rules for rrying out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power ch rules may provide for —

(a) the time within which the body of a deceased person may be claimed; and

(b) the embalming of dead bodies.

प्राचार्य

Contd...

THE MADHYA PRADESH ANATOMY RULES, 1966

Notification No. 5580-1593-XVII-Med. IV, dated 24th December, 1966.—In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Madhya Pradesh Anatomy Act, 1954 (No. 15 of 1954), the State Government hereby makes the following rules, namely:—

1. These rules may be called The Madhya Pradesh Anatomy Rules, 1966.

2. In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Madhya Pradesh Anatomy Act, 1954.

(b) "Unclaimed deaa body" means the body of a deceased person which is not claimed by any of his near relatives or by any person of his caste, creed and religion within 72 hours of his death.

3. (1) Every officer and servant of the Police, Medical and Public Health Department, every officer and servant in the Service of a local authority and every village officer and servant who comes to know of the death of any person in the service of a local authori.., and every village officer and servant in any public place in any area in which he has no permanent place of residence shall report the fact to the officer-in-charge of the nearest Police Station with the least practicable delay.

(2) On receipt of the report under sub-rule (1) the officer-in-charge of the Police Station shall immediately make arrangement for the removal of the dead body to the hospital for preservation from decay and also report the fact to the authorised officer.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), it shall be the duty of the Patel or Sarpanch of the village in or near which the dead body may be found to arrange for the removal of the dead body to the nearest hospital for preservation from decay and also to report the fact to the officer-in-charge of the nearest Police Station.

(4) The bills for the cost of removal of the dead body to the hospital shall be sent to the officer-in-charge of the hospital concerned which shall be paid by him. The said officer shall also inform the authorised officer of the dead body having been brought to the hospital in his charge and of its preservation.

4. (1) Where a person dies in a hospital or in a person the officer-in-charge of such hospital or prison shall immediately report the fact to the nearest relative mentioned in the records of the patient or prisoner. If the said relative does not claim the body within 72 hours, the dead boey shall be disposed off in the manner laid down in Section 5 of the Act.

(2) Pending receipt of the claim, if any, in pursuance of sub-rule (1) the dead body shall be removed to the hospital or the teaching medical institution, as the case may be, for preservation from decay.

(3) If such body is not claimed within the period specified in sub-rule (1) the authorised officer shall proceed to dispose of the body in the manner laid down in Section 5 of the Act.

(4) If any of the approved institutions does not require the dead body for the anoatomical examination and dissection, the authorised officer concerned shall deliver it to the rightful claimant or if no such claim is forthcoming, dispose of the dead body by cremation or burial, as the case may be.

5. The person intending to dedicate his dead body for the purpose of anatomical examination and dissection shall inform of his intention in writing to the authorised officer of the District concerned. The authorised officer shall maintain a record of all such dedications in the form appended to these rules.

6. (1) Any matter under Section 3 of the Act relating to any doubt or dispute in respect of a dead body shall be referred to the officer appointed thereunder, by an application in writing and shall be delivered personally to the said officer.

(2) On receipt of the application under sub-rule (1) the officer appointed under Section 3 of the Act shall immediately fix a date for hearing within two days of the receipt of such reference and inform the parties accordingly.

(3) After hearing the parties concerned, the officer appointed by the State Government under Section 3 of the Act may make such further enquiry as he may think proper and fit to dispose of the case and shall give his decision on the date of hearing and his decision shall be final and conclusive.

7. The authorised officer shall make arrangement for the preservation of unclaimed dead bodies in ice or mourtuary coller so as to preserve it from decay until —

(a) a decision has been taken under Section 3 of the Act; or

(b) it is handed over to his relative, friend or servant; or

(c) it is handed over to a medical institution for anatomical examination or dessection.

8. Nothing contained in these rules shall apply to cases where death has taken place under supicious circumstances and the body is required for medico-legal examination. In such case, if the Police have not taken possession of it themselves, the body shall be handed over to the Police.

9. The Madhya Bharat Pathology and Anatomy Rules, 1956 and all other rules corresponding to these rules in force in any region of the State of Madhya Pradesh immediately before the commencement of these rules are hereby repealed:

Provided that anything done or any action taken under any of the rules so repealed shall, unless such thing or action inconsistent with any of the provisions of these rules, be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these rules.

FORM

(*See* Rule 5)

Register of persons intending to dedicate their dead bodies for the purpose anatomical examination and dissection.

District . . . .

S. No.	Name and address of the persons intending to dedicate his dead body for the purpose of anatomical examination and dissection	Date of receipt of application	Name of the approved institution to which the dead body will be sent	Date of handing over the dead body	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्रमांकः एफ 9—57/2014/55—1 भोपाल, दिनाँक 28 जुलाई, 2014

विषय :— लावारिस/अदावाकृत मानव मृत शरीर (Unclaimed dead bodies) के अविलम्ब निष्पादन के सम्बन्ध में स्कीम/दिशा निर्देश।

लावारिस/अदावाकृत मानव मृत शरीर (Unclaimed dead bodies) के निष्पादन के संबंध में मध्यप्रदेश एनाटॉमी एक्ट 1954, मध्यप्रदेश एनाटॉमी रूल्स 1966, मध्यप्रदेश पुलिस मेन्युअल एवं रेगुलेशन्स तथा दंड प्रकिया संहिता में प्रावधान दिए गए हैं। मध्यप्रदेश एनाटॉमी रूल्स, 1966 के नियम 3(1) में उपबंध है कि पुलिस, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी, संबंधित स्थानीय निकाय का प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी किसी लावारिस/अदावाकृत मानव मृत शरीर (शव) के मिलने पर अविलंब (तत्काल) संबंधित/नजदीकी पुलिस थाने के थाना प्रभारी को सूचना देंगे। एनाटॉमी रूल्स 1966 के नियम 3(2) में उपबंध है कि ऐसी सूचना मिलने पर संबंधित थाना प्रभारी शव को सुरक्षित रखने हेतु तत्काल नजदीकी चिकित्सालय में भेजेंगे एवं उसकी रिपोर्ट प्राधिकृत अधिकारी को करेंगे।

2/— चिकित्सा शिक्षा विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 4—2/05/1—पचपन, दिनांक 14 दिसंबर, 2005 द्वारा समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, चिकित्सालय के अधीक्षक एवं समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन को एनाटॉमी एक्ट की धारा 4 एवं 5 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी घोषित किया गया है।

3/— मध्यप्रदेश एनाटॉमी रूल्स, 1966 के नियम 2 (*b*) में लावारिस मृत मानव शरीर के संबंध में निम्नानुसार उपबंध है " Unclaimed body" means the body of a deceased person which is not claimed by any of his near relatives or by any person of his caste, creed and religion within 72 hours of his death.

4/— PIL WP No. 3312/2006 ज्ञान प्रकाश विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय मुख्य पीठ जबलपुर द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 03/04/2014 के परिपालन में लावारिस मानव मृत शरीर के अविलम्ब

ANIl VERMA PA To DS

निष्पादन के सम्बन्ध में निम्नानुसार प्रकिया का पालन करते हुए तत्काल निष्पादन किया जाए :—

टी.बी. अस्पताल अथवा अन्य किसी भी अस्पताल में लम्बे समय से उपचार किए जाने के दौरान स्वभाविक मृत्यु होने पर ऐसे मृत मानव शरीर का **प्राथमिक कस्टोडियन उक्त अस्पताल का अधीक्षक अथवा संस्था प्रमुख होगा। उपचार करने वाले चिकित्सक** का यह दायित्व होगा कि वह **संबंधित इमरर्सेसी डयूटी चिकित्सक**, अस्पताल अधीक्षक एवं संस्था प्रमुख को मृतक के संबंध में अविलम्ब सूचना दे। उक्त सूचना में उपचार करने वाले चिकित्सक मृत्यु प्रमाण–पत्र के साथ स्पष्ट रूप से उल्लेख करेंगें कि मृत व्यक्ति कितने समय से उपचार के लिये चिकित्सालय में भर्ती था, किस बीमारी के लिये उपचार किया जा रहा था एवं उपचार के दौरान क्या उसके परिजनों ने अस्पताल से सम्पर्क किया या नहीं आदि। चिकित्सक द्वारा मृत्यु के कारणों का उल्लेख करते हुए मृत्यु स्वाभाविक परिस्थिति में हुई है एवं मेडीकोलीगल नहीं है, यह भी प्रमाण पत्र देगा। उपचार करने वाले चिकित्सक मृतक के संबंध में पूर्ण **विवरणत्मक** सूचना **परिशिष्ट–एक में** इमरजेंसी ड्यूटी चिकित्सक, अस्पताल अधीक्षक एवं संस्था प्रमुख को तत्काल देगा। अस्पताल अधीक्षक एवं संस्था प्रमुख मृतक की सूचना संबंधित थाना प्रभारी को **परिशिष्ट–दो में अविलंब दिया जाना सुनिश्चित करेंगे** तथा फोटोग्राफ, डी.एन.ए. एवं फिगंरप्रिंट्स नियमानुसार **सुरक्षित रखे जाने की व्यवस्था करेगे,** जिससे कि पुलिस द्वारा भविष्य में आवश्यकतानुसार इस संबंध में विवेचना की जा सके। अस्पताल अधीक्षक एवं संस्था प्रमुख द्वारा लावारिस मानव मृत शरीर को 72 घंटे तक अथवा आवश्यकतानुसार समयावधि तक मोर्चुरी कूलर में सुरक्षित रखने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। शव के परिवहन एवं सुरक्षित रखने का व्यय चिकित्सालय द्वारा वहन किया जाये। थाना प्रभारी का यह दायित्व होगा कि वह ऐसे मृत व्यक्ति के **तत्काल** पंचनामा **आदि तैयार करेगा** तथा फोटोग्राफ एवं अन्य आवश्यक विवरण सूचना दिनांक को ही संचार माध्यमों द्वारा संभावित परिजनों को सूचित करेगा। 72 घंटे का समय व्यतीत होने के पश्चात 24 घंटे के अन्दर संबंधित थाना प्रभारी का दायित्व होगा कि अस्पताल प्रमुख को **परिशिष्ट–तीन में** यह सूचित करेगा कि प्रकियाओं को पूर्ण करने के पश्चात मृत मानव शरीर का कोई दावेदार है अथवा नहीं है। उक्त समयावधि में पुलिस द्वारा अगर मृतक के परिजनों के सम्बन्ध में कोई

ANIL VERMA PA To DS

सूचना नहीं दी जाती है और न ही किसी परिजन द्वारा सीधे अस्पताल से सम्पर्क किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में मृत मानव शरीर को लावारिस/अदावाकृत मृत मानव शरीर माना जाकर अध्ययन/अध्यापन/शोध कार्य के लिए अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष एनाटॉमी विभाग चिकित्सा महाविद्यालय को सौंपेगा। उपरोक्त कार्यवाही से संबंधित प्रतिवेदन जिला दंडाधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं थाना प्रभारी को अस्पताल प्रमुख द्वारा तत्काल दिया जाएगा। उक्त के लिये राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना कमांक एफ 4–2–05–1–पचपन, दिनांक 03 मई 2006 में अधिनियम की धारा 2 (ए) के अन्तर्गत लावारिस/अदावाकृत मानव मृत शरीर के अध्ययन/अध्यापन/शोधकार्य हेतु प्राप्त करने के लिए अनुमोदित संस्थाएं घोषित की गई हैं, जो निम्नानुसार है :–

(*i*) **समस्त स्वशासी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय तथा इससे सम्बद्ध अस्पताल।**

(*ii*) **स्वशासी शासकीय दन्त चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर तथा इससे सम्बद्ध अस्पताल।**

(*iii*) **समस्त स्वशासी शासकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय तथा इससे सम्बद्ध अस्पताल।**

(*iv*) **समस्त स्वशासी शासकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय तथा इससे सम्बद्ध अस्पताल।**

(*v*) **समस्त स्वशासी शासकीय यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय तथा इससे सम्बद्ध अस्पताल।**

नोट :– समस्त स्वशासी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय तथा इससे सम्बद्ध अस्पताल को प्राथमिकता में लावारिस/अदावाकृत मृत मानव शरीर उपलब्ध कराये जायेंगे।

संलग्न :–1. चिकित्सक द्वारा अधीक्षक को दिये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप **परिशिष्ट–एक**

2. संबंधित अस्पताल के अधीक्षक द्वारा थाना प्रभारी को लिखे जाने वाले पत्र का प्रारूप **परिशिष्ट–दो**

3. संबंधित थाना प्रभारी द्वारा चिकित्सालय के अधीक्षक को लिखे जाने वाले पत्र का प्रारूप **परिशिष्ट–तीन**

(एस.एस.कुमरे)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

ANIL VERMA PA To DS

पृ0 क्रमांकः एफ 9–57/2014/55–1 भोपाल, दिनॉक 28 जुलाई, 2014

प्रतिलिपिः–

1. **निज सचिव**, माननीय मंत्रीजी/माननीय राज्य मंत्रीजी, चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश की ओर माननीय मंत्रीजी एवं माननीय राज्य मंत्रीजी के संज्ञान में लाने हेतु।
2. **प्रमुख सचिव (समन्वय)**, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय।
3. **प्रमुख सचिव**, वित्त विभाग/गृह विभाग/विधि एवं विधायी कार्य विभाग/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/आयुष विभाग।
4. **महाधिवक्ता**, मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. **पुलिस महानिदेशक**, मध्यप्रदेश पुलिस मुख्यालय भोपाल।
6. **संभागायुक्त**, ... संभाग मध्यप्रदेश।
7. **कलेक्टर**, ... मध्यप्रदेश।
8. **पुलिस अधीक्षक** .... मध्यप्रदेश।
9. **अधिष्ठाता**, चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल/इन्दौर/जबलपुर/ग्वालियर/रीवा/सागर
10. **संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक**,संबद्ध चिकित्सालय, चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल/इन्दौर/जबलपुर/ग्वालियर/रीवा/सागर
11. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला .... मध्यप्रदेश
12. सिविल सर्जन, सह अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय जिला .... मध्यप्रदेश।
13. आयुक्त नगर निगम/सीएमओ नगर पालिका/ नगर परिषद/ नगर पंचायत .... मध्यप्रदेश।
14. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत .... जिला .... मध्यप्रदेश।
15. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत .... जिला .... मध्यप्रदेश।
16. **संचालक**, चिकित्सा शिक्षा, सतपुडा भवन मध्यप्रदेश भोपाल

सरल कमांक 5 से 16 तक के विभागाध्यक्ष एवं संबंधित अधिकारी कृपया समस्त निर्देशों का व्यापक प्रचार–प्रसार ग्राम स्तर तक कराने एवं सभी संबंधित अधीनस्थों को आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

ANIL VERMA PA To DS

...i Dullarya
...yurvedic P. G.
... & Hospital

(५

परिशिष्ट–एक
(चिकित्सक द्वारा अधीक्षक को दिया जाने वाला पत्र)

.... अस्पताल.............................. मध्यप्रदेश।

क्रमांक   दिनांक   /   /
प्रति,

अधीक्षक
.... चिकित्सालय
जिला .... मध्यप्रदेश।

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री ....
....

पुत्र/पुत्री/पत्नी/श्री..............................उम्र..............लिंग..............

पता..............................

..............................इस अस्पताल में दिनांक..............................को भर्ती हुए एवं दिनांक..................को स्वाभाविक/प्राकृतिक परिस्थिति में मृत्यु हुई है, एवं मेडिकोलीगल नही है एवं मृत्यु प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में संलग्न है। मैने शव का पूर्ण रूप से परीक्षण कर लिया है, एवं संतुष्ट हूँ। मरीज की मृत्यु के निम्नांकित कारण हैं:– ....
....
....
....
....

संलग्न :– मृत्यु प्रमाण–पत्र

चिकित्सक के हस्ताक्षर
चिकित्सक का नाम ....
(यूनिट प्रभारी)
वार्ड .... बैड नं. ....
चिकित्सालय का नाम ....
दिनांक ....

ANIL VERMA PA To DS

परिशिष्ट–दो

(अस्पताल द्वारा थाना प्रभारी को लिखा जाने वाला पत्र)

~~चिकित्सालय का नाम~~..

तहसील.......................................जिला... मध्यप्रदेश।

क्रमांक .... दिनांक ....

प्रति,

थाना प्रभारी,

थाना ....

जिला .... मध्यप्रदेश।

विषयः– प्राकृतिक/स्वाभाविक रूप से मृतक श्री/श्रीमती/सुश्री/कु0 ....
....
.... के वारिस/परिजन के संबंध में कार्यवाही हेतु सूचना।

संदर्भः– मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग का परिपत्र क्र. एफ 9–57/2014/55–1 भोपाल, दिनांक 28 जुलाई, 2014.

विषयान्तर्गत् उपर्युक्त संदर्भ में लेख हैं कि, मृतक श्री/श्रीमती/सुश्री/कु0 ....
.... की प्राकृतिक/स्वाभाविक मृत्यु दिनांक .... को इस चिकित्सालय में हुई है। मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है। मृतक के शव के कोई दावेदार उपस्थित नही हुए हैं।

1. शव पंचनामा के संबंध में कृपया आवश्यक कार्यवाही शीघ्र करें।
2. कृपया मृतक के फोटोग्राफ एवं अन्य आवश्यक विवरण (पुरूष/महिला .... लगभग उम्र .... रंग .... शरीर पर पहचान के चिन्ह ....) **आज ही संचार माध्यमों द्वारा संभावित परिजनों को 72 घंटों के अंदर अवगत कराने का कष्ट करें। 72 घंटे के अंदर कोई परिजन उपस्थित नही होते हैं (72 घंटे के पूर्ण होने के पश्चात्), तो 24 घंटे के अंदर इस चिकित्सालय को यह अवगत कराये कि मृत व्यक्ति के संबंध में गुमशुदगी का प्रकरण दर्ज होने या कोई अपराध पंजीबद्ध है या नहीं एवं वारिस/परिजन की जानकारी प्राप्त कर ली गई है तथा इस संबंध में** जानकारी एवं शव पंचनामा, रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को समय–सीमा में उपलब्ध करायें।

संलग्नः– मृत्यु प्रमाण पत्र एवं फोटोग्राफ

हस्ताक्षर ....

संस्था प्रमुख/अधीक्षक का नाम ....
....

चिकित्सालय का नाम ....

दिनांक ....

निरंतर.........2

ANIL VERMA PA To DS

संलग्न– अवर सचिव म0प्र0 शासन ...
... 09/12/2013

पृ0 क्रमांक .... दिनॉक ....

प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर/जिला दंडाधिकारी जिला .... मध्यप्रदेश।
2. पुलिस अधीक्षक जिला .... मध्यप्रदेश।
3. अनुविभागीय दंडाधिकारी जिला .... मध्यप्रदेश।
4. अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) जिला .... मध्यप्रदेश।

कि ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

हस्ताक्षर ....

संस्था प्रमुख/अधीक्षक का नाम ....

....

चिकित्सालय का नाम ....

दिनांक ....

ANIL VERMA PA To DS

परिशिष्ट–तीन
(थाना प्रभारी द्वारा अधीक्षक को लिखा जाने वाला पत्र)

थाना .... **जिला** .... **मध्यप्रदेश।**
क्रमांक .... **दिनांक** ....
प्रति,

अस्पताल अधीक्षक,
....
..................................मध्यप्रदेश।

विषयः– मृतक श्री/श्रीमती/सुश्री ....
के समय सीमा में कोई भी परिजन/वारिस/निकट संबंधी न होने बावत् सूचना।

विषयान्तर्गत् मृतक श्री/श्रीमती/सुश्री/कु0 ....
.... के संबंध में जिले के थानों में कोई गुमशुदगी या अपराध प्रकरण दर्ज होने की जानकारी निरंक है तथा मृतक के कोई वारिस/परिजन की भी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है अथवा हुई है।

अथवा

थाना .... में गुमशुदगी कमांक .... या अपराध कमांक .... दर्ज किये जाने की जानकारी प्राप्त है। संबंधित रिपोर्टकर्त्ता को थाने के माध्यम से सूचित किया गया है।

हस्ताक्षर..
थाना प्रभारी..
थाना...
जिला...

पृ0 क्रमांक: .... **दिनॉक** ....
प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर/जिला दंडाधिकारी जिला ....मध्यप्रदेश।
2. पुलिस अधीक्षक जिला.. मध्यप्रदेश।
3. अनुविभागीय दंडाधिकारी जिला .... मध्यप्रदेश।
4. अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) जिला .... मध्यप्रदेश।

कि ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

हस्ताक्षर..
थाना प्रभारी..
थाना...
जिला...

ANU VERMA PA To DS

... निवेदन है कि उक्त चिकित्सालयों से विधि सम्मत नियमानुसार मृत शरीर (Dead Body) प्राप्त करने हेतु एन.ओ.सी. (अनापत्ति प्रमाण पत्र) जारी करने की कृपा करें।

सधन्यवाद

व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.
अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-म. प्र.
बि.पू.पु.-04 भोपाल-03-05.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-03-05.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक [illegible]] भोपाल, बुधवार, दिनांक 14 दिसम्बर 2005—अग्रहायण 23, शक 1927

चिकित्सा शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2005

क्र. एफ-4-2-05-1-पचपन.—निजी क्षेत्र में स्थापित समस्त चिकित्सा / दन्त चिकित्सा / आयुर्वेद / होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों के प्रायोगिक ज्ञान के लिए प्रशिक्षण हेतु मध्यप्रदेश एनाटॉमी एक्ट, 1954 की धारा 4 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन द्वारा इस विभाग द्वारा प्राधिकृत संस्थाओं से मांग किए जाने पर लावारिस मृत शरीर उपलब्ध कराने हेतु अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में धारा 5 के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु, समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय एवं समस्त जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / सिविल सर्जन को प्राधिकृत अधिकारी घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. सत्यम, अपर सचिव.